112

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R4036 I-16

कुंवर सिंह पिता देवी सिंह

निवासी- गौंदू बिजयपुरा तह. मालथौन जिला सागर

—निगरानीकर्ता

॥ विरुद्ध ॥

1 रवीन्द्र कुमार पुत्री नेमीचन्द्र जैन

निवासी- गौंदू बिजयपुरा हाल निवासी-गुरूकुल रोड खुरई

2 म.प्र. शासन

—गैर निगरानीकार

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा.सं. के तहत

दिनांक 30-11-16 को श्री रामकृष्ण दुबे अभिभाषक प्र.क्रं. के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :-

गैर निगरानीकार द्वारा तहसीलदार मालथौन के समक्ष रा.प्र.क्रं. 8736 अ/ 96-97 के द्वारा रिकार्ड दुरूस्ती हेतु आवेदन प्रस्तुत किया उक्त रिकार्ड दुरूस्ती के आवेदन पर हल्का पटवारी द्वारा दि. 26.2.97 को पटवारी प्रतिवेदन स्थल पंचनामा प्रस्तुत कर निगरानीकार के स्वामित्व आधिपत्य एवं कब्जे की भूमि ख.न. 559 रकबा 0.38 हे. भूमि मे से अंश रकबा 0.28 हे. भूमि बन्दोबस्त में नक्शे मे कमी होने एवं अन्तर पाये जाने की दुरूस्ती प्रस्तावित की जिसपर तहसीलदार मालथौन द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.11.97 द्वारा आवेदक के पक्ष को सुने बिना एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का परीक्षण किये बिना एवं उक्त रिपोर्ट पर आवेदक की आपत्ति लिये बिना आवेदक के स्वामित्व की भूमि ख.नं. 559 रकबा 0.38 हे.भूमि रविन्द्र पुत्र नेमीचन्द्र जैन के नाम विधिविरुद्ध तरीके से दर्ज किये

कुंवरसिंह

/2/

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 4036/एक/2016 जिला–सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
6-1-17	यह निगरानी आवेदक कुंवर सिंह बल्द देवी सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के प्र.क्र. 138अ–6 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई। प्रकरण का सारांश यह है कि अनावेदक के पिता नेमीचंद बल्द मुन्नालाल ने अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.01.1997 को धारा 89 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत नक्शा दुरस्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर प्रकरण गठित कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी का प्रतिवेदन नक्शा अक्श सहित पंचनामा की मांग की गई एवं अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक द्वारा 28.01.1997 को संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड पर लिये बगैर प्रकरण की कार्यवाही प्रारम्भ की एवं हल्का पटवारी ने दिनांक 26.02.1997 को प्रतिवेदन पंचनामा एवं नक्शा अक्श सहित प्रस्तुत किया जो आवेदक की अनुपस्थिति में तैयार किया गया एवं उसमें उल्लेखित किया गया कि अनावेदक के रकवे में बन्दोबस्त दौरान अभिलेख में 0.28 हे. की कमी आती है। उक्त रकवे की पूर्ति हेतु खसरा नं. 559 जो कि पुराने नम्बर 260 से निर्मित हुआ है। उक्त ख.नं. 559 रकवा 0.28 हे. भूमि से रकवे एवं नक्शे की पूर्ति नक्शे में बन्दोबस्त के दौरान	

R. 4036. 5/16

कमी हो गयी है और नक्शे में अतर पाया गया है ख.नं. 559 रकवा 0.38 हे. बन्दोस्त की गलती से कुंवर सिंह पिता देवी सिंह के नाम पर दर्ज हो गया है। उक्त हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये बगैर दिनांक 11.11.1997 को रिकार्ड दुरस्ती का आलोच्य आदेश पारित किया जिस पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा आपत्ति लेने पर कि उन्हें साक्ष्य सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया एवं ख.नं. 559 की नकल नहीं आयी इस कारण से उक्त आदेश की पुनःवलोकन की अनुमति धारा 51 के तहत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा चाही गई परन्तु अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा उक्त अनुमति नहीं दी गयी। उक्त आदेश के प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलार्थी को प्राप्त नहीं हुई। इसी बीच अनावेदक द्वारा उक्त आदेश कम्पलाईंश कराकर अधीनस्थ न्यायालय से प्रतिवेदन दिनांक 29.03.12 प्रतिवेदित कराकर सिविल जेल की कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध प्रस्तावित की जो विधि विरूद्ध है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र.क. 13अ 70 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.03.11 द्वारा उक्त ख.नं. 559 से बेदखल किया जिसकी अपील आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी खुरई के समक्ष अपील कमांक 84अ 70 वर्ष 2010–11 द्वारा प्रस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 08.12.2011 द्वारा निरस्त की गई उक्त सभी कार्यवाही परिलक्षित होने के कारण आवेदकगण ने अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण कमांक 87अ 6 वर्ष 1996–1997 में पारित आदेश दिनांक 11.11.1997 के मूल आदेश की अपील जानकारी एवं प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में प्रस्तुत नहीं कर सका। उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा दिनांक 27.09.2016 को

अपील अनुविभागीय अधिकारी खुरई के न्यायालय में प्रस्तुत की, अपील के साथ धारा 5 म्याद अधिनियम एवं धारा 48 म.प्र. भू–राज्य संहिता 1959 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 48 का आवेदन अस्वीकार कर उक्त अपील निरस्त कर दी जिसके विरूद्ध यह निगरानी आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत की।

निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दु पर आवेदक के अभिभाषक को सुना गया तथा उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक ने अपने तर्कों में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालथौन द्वारा आदेश दिनांक 11.11.1997 अधिकारिता रहित पारित किया है जिसकी जानकारी होने पर उक्त आदेश के पुनर्विलोकन की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी खुरई से चाही जो अनुविभागीय अधिकारी खुरई द्वारा नहीं दी गई जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक के पिता ने धारा 89 का आवेदन प्रस्तुत किया जबकि हल्का पटवारी द्वारा नक्शा में कमी प्रतिवेदित की नक्शा में सुधार किये जाने का तहसीलदार मालथौन को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्त किये जावें।

उक्त भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्र.क्र. 84अ 70 वर्ष 2010–11 संधारित रहा इस कारण से आवेदक मूल आदेश की अपील प्रस्तुत नहीं कर सका एवं मूल आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के अभाव में धारा 48वां आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

आवेदक अभिभाषक द्वारा दिये गये तर्कों एवं उनकी ओर से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अनावेदक के पिता नेमीचंद पिता मुन्नालाल द्वारा दिनांक 31.01.1997 को धारा 89 म.प्र. भूराजस्व संहिता का आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिस पर हल्का पटवारी ने राजस्व निरीक्षक के माध्यम से दिनांक 26.02.1997 को प्रतिवेदन नक्शा एवं पंचनामा सहित प्रस्तुत किया था। उक्त पंचनामा एवं प्रतिवेदन एवं नक्शा अक्श आवेदक के गैर मौजूदगी में तैयार किया गया। उक्त प्रतिवेदन एवं पंचनामा के अवलोकन से हल्का पटवारी ने प्रतिवेदित किया कि नक्शे में बन्दोबस्त के दौरान कमी हो गयी एवं नक्शे में अन्तर पाया गया प्रतिवेदित किया। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार मालथौन द्वारा अपने आदेश दिनांक 11.11.1997 पारित किया परन्तु तहसीलदार मालथौन को नक्शा दुरस्ती का अधिकार प्राप्त नहीं है इस कारण से पुनःवलोकन की अनुमति चाही गयी परन्तु अनुविभागीय अधिकारी खुरई ने आदेश दिनांक 18.02.1998 द्वारा पुनःर्विलोकन की अनुमति नहीं दी गई जो अनुचित है। इसके साथ ही मैंने खं.न. 559 की रिनम्बरिंग पर्ची का अवलोकन किया, रिनम्बरिंग पर्ची के कमांक 14 में ख.नं. 559 पुराने ख. नं. 282 (ड) से बना हुआ प्रमाणित है। किस्तबंदी खतौनी वर्ष 1985–86 से ख.नं. 282 की प्रमाणित प्रतिलिपि का इस न्यायालय द्वारा अवलोकन किया गया जिसमें यह स्पष्ट प्रमाणित है कि ख.नं. 282 रकवा 16.33 एकड़ कुंअर सिंह पिता देवी सिंह के नाम पर भूमि स्वामी के रूप में दर्ज है। उक्त ख.नं. से ही रिनम्बरिंग पर्ची के अवलोकन से प्रमाणित है कि ख.नं. 559 बना है जो

 R-4036-I/16

बन्दोबस्त पूर्व कुंअर सिंह पिता देवी सिंह के नाम पर दर्ज थी, बन्दोबस्त पश्चात कुंअर सिंह के नाम पर दर्ज थी।

उपर्युक्त विवेचदना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालथौन द्वारा प्र.क्र. 87अ 6अ वर्ष 1996–1997 में पारित आदेश दिनांक 11.11.1997 द्वारा अधिकारिता रहित एवं क्षेत्राधिकार के अभाव में निरस्त किया जाता है। तहसीलदार मालथौन रिकार्ड पूर्ववत करें। उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार मालथौन के रा.प्र.क्र. 13अ 70 वर्ष 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26.03.2011 एवं अनुविभागीय अधिकारी खुरई के अपील प्र.क्र. 84अ 70 वर्ष 2010–11 की कार्यवाही विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जाती है एवं आवेदक के विरूद्ध संहिता की धारा 250 के तहत प्रचलित कार्यवाही समाप्त की जाती है। अनुविभागीय अधिकारी खुरई के अपील प्र.क्र. 138अ–6 वर्ष 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2016 विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त किया जाता है। अनावेदक चाहें तो नक्शा दुरस्ती की कार्यवाही का आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिये सक्षम न्यायालय में स्वतंत्र है।

सदस्य